बाबा मोहन राम थोक फल सब्जी मण्डी

खसरा नम्बर 951/665, 949/738

4. राज्य सरकार की शर्तें, परिपत्र तथा बीडा का निर्णय प्रत्येक आवंटी को मान्य होगा।

5. भूखण्ड का आवंटन होने के पश्चात् आवंटी को बीडा से लीज डीड जारी करवाते हुए पंजीयन करवाना होगा। जिसका समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।

6. भूखण्ड का हस्तान्तरण बीडा की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

7. आवंटी को भूखण्ड को विभाजित करने व अन्य भूखण्ड के साथ मिलाने का अधिकार बीडा की पूर्वनुमति के बिना नहीं होगा।

8. भूखण्ड का आवंटन ऑनलाईन लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

9. फर्म के नाम पर भूखण्ड आवेदन करने पर मुख्तारनामा या पार्टनरशिप डीड की प्रति संलग्न करनी होगी।

10. भूखण्डों पर निर्माण बीडा द्वारा स्वीकृत मानचित्र/टाईप डिजाईन के अनुसार ही किया जावेगा।

11. आवेदन कर्ता को निर्धारित प्रारूप में स्व घोषणा पत्र देना होगा।

12. यदि किसी आवेदक के द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर बीडा को धोखे में रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया जाता है अथवा आवंटन करवा लिया जाता है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तो का पालन नहीं किया है तो ऐसे आवेदकों की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जायेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. आवेदको के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर लॉटरी निकाली जावेगी। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्र में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवंटन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिष्चित कर लेवें।

14. एक व्यक्ति मालिक अथवा साझेदार किसी एक रूप में ही आवंटन योग्य माना जावेगा।

15.एक व्यक्ति को मालिक अथवा साझेदार के रूप में एक ही भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा। दोनो स्थितियॉं उत्पन्न होने पर अन्य भूखण्डो का निरस्तीकरण के लिए प्राधिकरण स्वतंत्र होगा अथवा ऐसा करने पर मिथ्या घोषणा व कपट मानते हुए सभी आवेदन पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी।

16.भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जायेगे।

17.आवंटी को लीजडीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा एवं पंजीयन विभाग के परिपत्र के अनुसार पट्टा जारी होने की दिनांक से 02 माह के अन्दर पंजीयन करवाना होगा।

bida
BHIWADI INTEGRATED DEVELOPMENT AUTHORITY

H-5, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी - 301019

18. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड का उपयोग केवल फल सब्जी मण्डी के कार्य में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं।

19. नियम विरूद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र व आवंटन निरस्त किया जाकर भूखण्ड के पेटे जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हे भविष्य में भूखण्ड के लिये आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा साथ ही ऐसे आवेदनकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

20. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि मात्र प्राप्त होने से प्राधिकरण इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

21. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार भिवाडी होगा।

22. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण व विकास के लिये बीडा मॉडल भवन विनियम 2021 पर्यावरण स्वीकृति में लगाई गई शर्तो एवं समय समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण के निर्देशों की पालना बाध्यकारी होगा।

23. किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी का निर्णय अंतिम होगा।

24. आवेदन पत्र में आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो स्व प्रमाणित आवश्यक है।

25. इन सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस पुस्तिका में पीछे दिये गये है सक्षम अधिकारी श्रेणी व पद भी प्रारूप में दर्शाए गये है इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं करे अन्यथा आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कृपया याद रखिये आप न तो भूखण्ड की वर्ग/माप के चयन को बदल सकते है और न ही अपूर्ण या बिना वांछित प्रमाण पत्रों के आवेदन कर सकते है।

26. भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करे। आपके पते में हुए परिवर्तन की सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण भिवाडी को आवश्यक रूप से भिजवाये।

4. भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

1.आवंटी को भूखण्ड की लीज डीड जारी करने/कब्जा पत्र के समय नियमानुसार देय नगरीय कर (लीज मनी) की राशि आरक्षित दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अग्रिम जमा करवानी होगी। नगरीय कर की राशि प्रथम 5 वर्षो में आधी दर अथवा 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय है। प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात/प्रत्येक हस्तान्तरण पर नगरीय कर में 25 प्रतिशत वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।

2. आठ (8) वर्ष का नगरीय कर पूर्ण दर से एक मुश्त जमा करवाने पर भविष्य में नगरीय कर में छूट प्रदान की जावेगी।

5. भूखण्ड का कब्जा

भूखण्ड के पट्टा विलेख (लीज डीड) का पंजीयन कराने के उपरान्त उसकी प्रति बीडा में प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही बीडा द्वारा भूखण्ड का कब्जा पत्र जारी करते हुए बीडा के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर कब्जा दिया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा। अन्यथा स्वतः कब्जा लिया हुआ माना जावेगा तत्पश्चात बीडा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भूखण्ड के वास्तविक नाम के अनुसार भूखण्ड की राशि जमा करवानी होगी।

6. भूखण्ड का हस्तान्तरण

1. भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा करने के उपरान्त पट्टा विलेख का पंजीयन करवाने, कब्जा प्राप्त करने तथा अन्य कोई देय राशि हो तो जमा करवाने पर बीडा से स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड का 10 वर्ष पूर्व हस्तान्तरण अर्थात विक्रय करना चाहता है तो निम्नानुसार राशि जमा करनी होगी

0 से 5 वर्ष के मध्य	**प्रचलित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत**
5 से 10 वर्ष के मध्य	**प्रचलित आरक्षित दर का 5 प्रतिशत**

2. बीडा से स्वीकृति प्राप्त करके विक्रय पत्र का पंजीयन करवाकर नाम हस्तान्तरण के लिए आवेदन करने पर नियमानुसार राशि बीडा में जमा करवाना होगा।

7. भूखण्ड पर निर्माण कार्य

भूखण्ड के आवंटन तिथि से 7 वर्ष के अन्दर भूखण्ड पर निर्माण कार्य करना होगा। अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जायेगा तथा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों में बीडा द्वारा नियमानुसार शास्ति लेकर भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढा सकते है। भूखण्ड पर निर्माण मानचित्र स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृति अनुसार ही करना होगा।

भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

बाबा मोहन राम थोक फल सब्जी मण्डी योजना भिवाडी

शपथ-पत्र (सभी आवेदको के लिए)

मैं.. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... आयु..प्रोपराईटर/भागीदार .... निवासी ग्राम/नगर .... तहसील .... जिला ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1.यह है कि आवेदन पुस्तिका को मैने ध्यान, पूर्वक पढ लिया है तथा मै अपने आप वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे मैं पेश कर दूंगा/कर दूंगी।

2.यह है कि मुझे कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र एवं सचिव मण्डी समिति खैरथल द्वारा प्रमाणित है, जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस संबंध में मूल अनुज्ञा पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगें, मैं प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।

3.यह है कि उक्त वांछित प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

4.यह है कि मैं/मेरी फर्म मार्च 2020 तक कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र एवं सचिव मण्डी समिति खैरथल द्वारा प्रमाणित सूची में स्वयं मालिक अथवा साझेदार किसी एक ही श्रेणी में पात्रता रखता हूँ।

5.यह है कि मैं/मेरी फर्म मार्च 2020 तक कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र एवं सचिव मण्डी समिति खैरथल द्वारा प्रमाणित सूची में स्वयं मालिक अथवा साझेदार किसी एक ही श्रेणी में पात्रता रखता हूँ अगर दोनो श्रेणियों में मुझे या मेरी फर्म को भूखण्ड आवंटन होता है तो प्राधिकरण आवंटित भूखण्डों का निरस्तीकरण कर सकेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधान के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता